प्रारूप—11
नियम 7(1) देखिये

कार्यालय नगर पालिका नवलगढ़ (झुन्झुनू) राज0

क्रमांक : न.पा.न./2022/भूमि/90A आदेश/10730 - 10734　　　　दिनांक 27/2/2022

निमित्तः—

श्री विजेन्द्र सिंह झाझड़िया पुत्र श्री ताराचन्द, निवासी वार्ड नं0 07 घूमचक्कर के पास, नवलगढ़ जरिये सचिव गौतम बालिका विद्यापीठ संस्थान, नवलगढ़, जिला—झुन्झुनूं (राज0)।

विषयः— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—क के अधीन कृषि भूमि का गैर—कृषिक/आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने बाबत।

—: आदेश :—

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :—

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90—क के अधीन निम्नलिखित भूमि का **(संस्थानिक)** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :—

तहसील व जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	ख.सं0	क्षेत्रफल
नवलगढ़, झुन्झुनूं	ढ़ाका की ढ़ांणी, नवलगढ	278	1.380 हैक्टर

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की—मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

3. यह कि मैंने आवेदको द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनो का परिक्षण कर लिया है। मैने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमती रिपोर्ट का परिक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का **(संस्थानिक)** प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम कर धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमो के उपबंधो के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके **भूमि का (संस्थानिक) प्रयोजन** के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है **कि खाता सं0 नया—37 की भूमि खसरा सं0 278 रकबा 1.380 हैक्टर की ग्राम ढ़ाका की ढ़ांणी, ढ़ांणिया नवलगढ़, तहसील नवलगढ़** में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारो को उक्त **भूमि का (संस्थानिक) प्रयोजन** के लिए उपयोग करने हेतु निर्वासित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को, उक्त स्थानिय प्राधिकारी पर लागू विधी, नियमो, विनियमो या उप—विधी के अनुसार आबंटन के लिए, स्थानीय प्राधीकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहिन प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारो के निक्षेप और सुसंगत विधी के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के

पश्चात, स्थानिय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात ही भूमि को **(संस्थानिक) प्रयोजन** के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

6. इन नियमो के अधीन विहिन और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधी के अनुसार अधिरोपित निबंधनो और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अद्योहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 27/02/2023 को पारित किया गया।

(अनिल कुमार)
प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका नवलगढ़

क्रमांक : न.पा.न./2022–23/भूमि/90A आदेश/10730 – 10734 दिनांक 27/2/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयीः–

1. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका नवलगढ़।
2. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, नवलगढ़ को पूर्वोक्त भूमि को स्थानिय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 07 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अद्योहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. **श्री विजेन्द्र सिंह झाझड़िया पुत्र श्री ताराचन्द, निवासी वार्ड नं0 07 घूमचक्कर के पास, नवलगढ़ जरिये सचिव गौतम बालिका विद्यापीठ संस्थान, नवलगढ़, जिला–झुन्झुनूं (राज0)।**
4. सुरक्षित पत्रावली।

(अनिल कुमार)
प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका नवलगढ़

कार्यालय नगरपालिका नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं (राज.)

27/2/2023